आदेश क्रमांक /तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
30.12.17		

न्यायालय – अपर समाहर्त्ता, खूँटी

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – **08R 15 / 2010**

जंगबहादुर सिंह – आवेदक

बनाम्

श्रीमती मनीषा देवी – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत रिवीजन वाद अवेदक जंग बहादुर सिंह पे0 स्व0 पालो सिंह, साकिन डहुगुटू थाना खूँटी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2011 को निष्पादित वाद दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 08/07–08 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रिवीजन आवेदन को स्वीकृत कर विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी। विपक्षी द्वारा उपस्थिति दी गयी तथा निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराया गया जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि प्रस्तुत रिवीजन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, खूँटी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 08/07–08 में दिनांक 05.01.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मनीषा देवी द्वारा अंचल अधिकारी कार्यालय खूँटी में दाखिल खारिज वाद संख्या– 99R 27/2000–01 से शुरूआत की गयी। उक्त दाखिल खरिज वाद की आवेदिका मनीषा देवी ने एक आवेदन देकर थाना एवं जिला खूँटी अन्तर्गत डहुगुटू में अवस्थित खाता न0 31, प्लॉट न0– 764/ए, रकबा 11 डी0 भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से करने का निवेदन किया था जांचोपरान्त एवं उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त दिनांक 24.12.2002 को आवेदिका मनीषा देवी का आवेदन अस्वीकृत किया गया था। अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि संबंधित भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा नहीं है तथा लेसी (Lessee) का इस जमीन पर जंग बाहादुर द्वारा राजेन्द्र प्रसाद को दिया गया लीज साबित होता है। इस आदेश के विरूद्ध मनीषा देवी द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया परन्तु

आश्चर्य जनक रूप से उस आदेश के लगभग 5 वर्षो के बाद पत्रांक 12 दिनांक 10.01.2007 के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी को सूचित किया गया, कि अंचल अधिकारी कार्यालय, खूँटी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 99R 27/2000–01 दिनांक 24.12.2003 को पारित आदेश द्वारा मनीषा देवी का आवेदन अस्वीकृत किया जा चूका है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के दाखिल खारिज अपील न0 08/07–08 श्रीमती मनीषा देवी बनाम श्री जंग बहादुर सिंह एवं राधा देवी अभिलेख के दिनांक 14.05.2007 के आदेश फलक में कहा गया है, कि श्रीमती मनीषा देवी ने अंचल अधिकारी, खूँटी के दाखिल खारिज वाद संख्या 99R 27/2000–01 के आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। जो काल बाधित है। नोटिस प्राप्ति के बाद जंग बहादुर सिंह एवं राधारानी द्वारा आपत्ति पत्र एवं कागज जमा किए गये। उभय पक्ष को सुनने के बाद निम्न न्यायालय द्वारा मनीषा देवी के पक्ष में दिनांक 05.01.2011 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध वर्तमान रिविजन वाद दायर किया गया है। आवेदक का कहना है कि वादगत जमीन मौजा डहुगुटू थाना एवं जिला खूँटी के प्लॉट संख्या 764 खाता न0 31 से संबंधित है। उक्त खाता प्लॉट से संबंधित प्रश्नगत भूमि रकबा 22 डी0 देवलाल सिंह के नाम से दर्ज है। देवपाल सिंह के दो लड़के जनक सिंह एवं पालों सिंह थे। पालो के दो पुत्र जंग बहादुर सिंह तथा दुर्गा सिंह (मृत) है तथा दो लड़किया राधा देवी तथा सीता देवी है। इनके बीच बंटवारा नहीं हुआ है। दुर्गा सिंह को संयुक्त सम्पत्ति बेचने का कोई अधिकार ना था और ना ही उसने वादगत सम्पत्ति बेची है। ब्रिकी दस्तावेज फर्जी है तथा कथित विक्रेता को कोई मूल्य नहीं चुकाया गया था। आगे कहते है, मान भी लिया जाय कि दुर्गा सिंह ने वादगत भूमि बेचा भी है तो वह नाजायज है क्योंकि उसने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी है। वाद गत भूमि पर आवेदक जंग बहादुर के स्वामित्व में है जिसे उसने राजेन्द्र प्रसाद को लीज में दिया है जहाँ वह 1988 से लेथ ओल्डींग इत्यादि का कार्य करता आ रहा है तथा कथित क्रेता मनीषा देवी का बिक्री दस्तावेज फर्जी है तथा वह कभी भी दखलकार नहीं हुई हैं। वादगत सम्पत्ति पर मनीषा देवी का कोई हक दखल कब्जा नहीं है। वहीं दुसरी ओर विपक्षी मनीषा देवी का कहना है उन्होने विवादित भूमि को दुर्गा सिंह से निबंधित बिक्री दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 17.06.2000 को खरीदा है। उक्त दूर्गा सिंह को मौखिक बंटवारे में विवादित जमीन मिला था जिसे उसने अपने अवश्यक इलाज के लिए विपक्षी से बेच दिया। यह हास्यास्पद लगता है कि कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए अपनी पूरी सम्पत्ति बेच दे। किस प्रकार का इलाज या इसका जिक्र विपक्षी

द्वारा नहीं किया गया है। यह विवादित जमीन राँची–खूँटी मुख्य सड़क पर प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर के समीप है। यह किस प्रकार के बंटवारा की बात विपक्षी द्वारा किया जाता है कि 22 डी0 मुख्य जमीन पर अकेले दुर्गा सिंह को 11 डी0 दे दिया जाता है। जबकि इसके 4 हिस्सेदार हैं। अंचल अधिकारी खूँटी द्वारा तथ्यों के आधार पर मनीषा देवी के दाखिल खारिज आवेदन को खारिज किया गया था जिसे अनदेखी कर निम्न न्यायालय उप–समाहर्त्ता, भूमि सुधार खूँटी द्वारा मनीषा देवी के पक्ष में गलत निर्णय लिया गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि निम्न न्यायालय ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अपने को दिवानी न्यायालय में परिवर्तित कर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश अनेक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है। उन्होनें अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त नहीं किया है परन्तु आदेश दे दिया है कि मौजा डहुगुटू, खाता सं0 31, प्लॉट सं 764 रकबा 22 डी0 मधे 11 डी0 (कोई चौहदी नहीं) भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सूनिश्चित करें। आदेश न्याय सम्मत तो है ही नहीं यह अस्पष्ट भी है। निम्न न्यायालय ने कहीं नहीं कहा है कि किसके नाम से दाखिल खारिज हेतु अग्रेतर कारवाई सुनिश्चित किया जाय। दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वमान्य एवं स्थापित बिन्दु दखल है न कि किसी का हक एवं अधिकार जिसे निम्न न्यायालय द्वारा आधार बनाया गया है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनीषा देवी का विवादित जमीन पर कोई दखल कब्जा नहीं है वहीं दूसरी ओर जंग बहादुर सिंह द्वारा लिज देने की बात को स्वीकारा गया है। इस तथ्य को अमान्य करने का कोई कारण निम्न न्यायालय द्वारा नहीं बताया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश तथ्यों की अवहेलना तथा स्थापित मापदण्ड के प्रतिकुल है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के रिविजन को स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के लिखित बहस द्वारा प्रतिवेदित है कि डी. सी. एल. आर. खूँटी द्वारा निष्पादित 08/2007–08 दिनांक 05.01.2011 में किसी भी अनियमितता का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिए आवेदक की ओर से दावा है कि निचली अदालत द्वारा पारित किए गए आदेश के हस्तक्षेप में पर्याप्त आधार नहीं है। मनीषा देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय में दाखिल खारिज वाद संख्या 08/2007–08 निर्धारित समय के भीतर दायर किया गया है जो कि पारा 8 से 11 तक वर्णित है। मनीषा देवी के विक्रेता, दुर्गा सिंह, पालों सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, जबकि आवेदक जंग बहादुर सिंह पालो सिंह के

सबसे बड़े पुत्र है। दुर्गा सिंह जंग बहादुर के सबसे छोटे भाई भाई थे, वे जानबूझकर तथ्य को छुपाते हुए विवादित जमीन की बिक्री कर दी। मनीषा देवी को दुर्गा सिंह ने मनीषा देवी के पक्ष में सही रूप से संपत्ति को सौंप दिया था, जो पूरी तरह से 11 डी0 के क्षेत्र में हस्तांतरित करने का हकदार था, जो विशेष रूप से उनके शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के तहत था। दुर्गा सिंह, मनीषा देवी के पक्ष में उक्त विवादित भूमि का मात्र 11 डीसमिल का ही केवाला किया गया है, जबकि उसका वास्तविक हिस्सा पैतृक भूमि में इससे ज्यादा है। जंग बहादुर सिंह, दुर्गा सिंह के बड़े भाई ने अपने पिता की संपत्ति में अपने कुल वास्तविक हिस्से के संबंध में अपना भाई दुर्गा सिंह से वंचित किया। जंग बहादुर सिंह ने अपनी जमीन विवादित संपत्ति में वास्तविक हिस्सेदारी से अधिक बिक्री किया है, क्योंकि जनक सिंह और पालो सिंह और शंभु सिंह के उत्तराधिकारियों के जीवन काल के दौरान उन्होंने अपनी भूमि को मौखिक रूप से बांट दिया था जो आर. एस. खाता न0 30 में दर्ज है। मनीषा देवी के रिजॉवायन्डर के पारा 19, 20, 21 एवं 22 में आर0 एस0 खाता नं0 30 एवं 31 के भूमि के क्षेत्र एवं इन्द्राज विशेष रूप से अंकित किया है। दुर्गा सिंह को समान अधिकार प्राप्त था, लेकिन सभी प्रतिबंध उनके बड़े भाई जंग बहादुर द्वारा दुर्गा सिंह के खिलांफ लगाया गया था। परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने का अनुचित फायदा उठाते हुए जंग बहादुर सिंह ने परिवार के संरक्षक और अच्छे आगंतुकों के रूप में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने संपत्ति में अपने हिस्से के संबंध में दुर्गा को धोखा दिया और उन्हें भयभीत किया क्योंकि दुर्गा सिंह कमजोर दिल वाले व्यक्ति थे। जंग बहादुर सिंह सम्पत्ति में एकता चाहते थे। इसलिए उन्होने प्रार्थना कि है कि दुर्गा सिंह जमीन का हस्तान्तरण मनीषा देवी के पक्ष में कर सकती है। कम से कम वह अपने हिस्से का एक चौथाई हस्तान्तरित कर सकता यदि यह विभाजित होता। जंग बहादुर सिंह ने दावा किया कि 1988 में राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में संपत्ति को पट्टे पर देने का दावा स्वयं ही एक संपत्ति के संयुक्त होने का दावा के रूप में एक खंडन था। दुर्गा सिंह वहां नहीं थे। मनीषा देवी अस्पताल में इलाज करवा रही थी। वह खाना बनाने के दौरान बुरी तरह से जल गई थी। जंग बहादुर सिंह ने अनुचित फायदा उठाते हुए राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में पट्टे को कर दिया। यह पूर्ण रूप से दुखद और अमानवीय घटना है। जंग बहादुर सिंह ने दुर्गा सिंह के पक्ष में क्रय विक्रय को चुनौती देते हैं, तो वह पूर्ण रूप से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने की स्वतंत्रता है परंतु यह मामला निचली अदालत में नहीं चल सकता है। जंग बहादुर सिंह द्वारा कब्जे का दावा बिल्कुल गलत है। निचली अदालत ने निष्कर्ष पर आने के

लिए सभी नियमों का पालन किया है। निचली अदालत द्वारा पारित किये गये आदेश को अलग रखा गया है। तदनुसार, मनीषा देवी के नाम से पंजी II दर्शाया गया है और वह झारखंड राज्य को रेन्ट दे रही है। उपरोक्त तथ्यों को नजर में देखते हुए, यह स्पष्ट है कि निचली अदालत द्वारा निलंबित आदेश को अंजाम देने और उसे सुलझाने के अपने सर्वोतम प्रयास के साथ कोशिश की लेकिन वे इस तथ्य को स्थापित करने में नाकाम रहें। डी. सी. एल. आर. की निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में पाया गया कि समीक्षा में बहुत ही सीमित गुंजाइश है। इसलिए संशोधन योग्य नहीं है अतः विपक्षी द्वारा रिविजन आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों, विद्धान अधिवक्ता द्वारा किया किया गया बहस सुनने एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकन पश्चात यह निस्कर्ष निकलता है, कि प्रश्नगत पैतृक भूमि खाता न0 31 प्लॉट संख्या 764 रकबा 22 डी0 पंजी II में पूर्व से देवलाल सिंह के नाम से दर्ज है। देवलाल सिंह के दो लड़के जनक सिंह एवं पालो सिंह है। पालो सिंह के दो पूत्र जंग बहादुर सिंह एवं दुर्गा सिंह तथा दो पूत्री राधा देवी एवं सीता देवी है। उक्त विवादित पैतृक सम्पत्ति का आपसी बटवारा नहीं किया गया है। बटवारे की स्थिति में मेन रोड स्थित उक्त मुल्यवान 22 डी0 भूमि पर दुर्गा सिंह को $\frac{1}{4}$ हिस्सा ही प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा 11 डी0 भूमि का बिक्री करना सही प्रतीत नहीं होता है। दाखिल खारिज वाद संख्या 99R27/2000–2001 में आवेदिका मनीषा देवी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है, कि प्रश्नगत भूमि पर मनीषा देवी का दखल कब्जा नहीं है। अगर जंगबहादुर सिंह दुर्गा सिंह को पैतृक जायदाद से वंचित कर रहें है तो वे सक्षम न्यायालय में आपसी बटवारा से संबंधित वाद दायर कर सकते थे।

अतः आवेदक के विद्धान अधिवक्ता के बहस एवं विपक्षी के लिखित बहस तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर दाखिल खारिज रिवीजनवाद को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30/12/17

अपर समाहर्ता,
खूँटी

30/12/17

अपर समाहर्ता,
खूँटी